

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~राशमी~~
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान आरनी

—:आदेश:—

राशमी प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी आरनी व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आरनी तहसील राशमी जिला
पिठासीन की जमाबन्दी सम्वत् 2017 में खाता संख्या 333 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>आरनी</u>	333	<u>सा. राशमी</u>	<u>सा. आरनी</u>

(राशमी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ~~राशमी~~

क्रमांक :- 357/22

दिनांक :- 10/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री समजात धारा अपेक्षितेरी अप को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(राशमी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

